न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – मनमोहन मीणा, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबरः– 373/2023 प्रार्थनापत्र

अनवान

01. राजूलाल पुत्र रामलाल कुमावत उम्र वयस्क निवासी गुर्जर खेड़ा, बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपस्थित

01.श्री अशोक कुमार लखारा — अधिवक्ता प्रार्थी

02.परोकार सरकार — अधिवक्ता विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया कि सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी नं0 3685/567 कुल किता 1 रकबा 0.3920 है0 भूमि स्थित होकर प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी को उक्त वर्णित आराजियात में आने जाने का एक मात्र रास्ता जो कि बिलानाम सरकार खाता सं0 1 के आ0नं0 4510/588 में होकर प्रार्थीगण कृषि कार्य हेतु आते जाते हैं जिसमें प्रार्थी अपनी बेलगाड़ी, संज ट्रैक्टर इत्यादि अपने पूर्वजों के समय से लाता ले जाता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में आने–जाने हेतु और कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी नं0 3685/567 कुल किता 1 रकबा 0.3920 है0 भूमि में आने–जाने हेतु बिलानाम सरकार खाता सं0 1 के आ0नं0 4510/588 में होकर में नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे तथा कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शें) में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारत मुआवजे की राशि के लिए प्रार्थी सदैव तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किए गए। नियत दिनांक 20.02..2024 को विपक्षी संख्या 01 उपस्थित। भू0अ0निरीक्षक बेमाली से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल फाईल किया गया। विपक्षी संख्या 01 उपस्थित प्रार्थनापत्र मौका रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नही की। प्रकरण में तहसीलदार करेडा से मौका रिपार्ट अनुसार आ0नं0 3685/567 रकबा 0.3920 है0, आ0नं0 4510/588 की पश्चिमी मेड़ के सहारे–सहारे 20 फीट चौड़ा व 9.144 मीटर (30 फीट) लम्बाई कुल रकबा 0.0444 है0 रास्ता दिया जाना उचित है।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधि[illegible] प्रार्थी एवं अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 से मौका रिपोर्ट अनुसार जितनी भूमि प्रार्थी रास्ते के [illegible] उतनी ही रकबा [illegible]मान मे प्रचलित डी.एल.सी. दर की दो गुना राशी प्रार्थी विपक्षी संख्या 01 को [illegible] है तो विपक्षी संख्या 01 [illegible] प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर सहमत है। अतः प्रार्थी व विपक्षी संख्या 01 के सहमत होने से उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manmohan Meena
Date: 2024.03.06 12:03:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी नं0 3685/567 कुल किता 1 रकबा 0.3920 है0 भूमि में आने-जाने हेतु बिलानाम सरकार खाता सं0 1 के आ0नं0 4510/588 में से होकर आने-जाने का एकमात्र रास्ता होने से मौका रिपोर्ट अनुसार 20 फीट चौड़ा व 9.144 मीटर (30 फीट) लम्बाई कुल रकबा 0.0444 है0 का रास्ता राजस्व रेकार्ड़ में सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने एवं उसी अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार करेड़ा के बिलानाम आ0नं0 4510/588 रकबा 0.4679 हैक्टर में से 0.0444 हैक्टर (20X30 फीट) भूमि की वर्तमान मे प्रचलित डी.एल.सी. दर की दो गुना राशी प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोष मे जमा करा मौके पर उक्तानुसार चालू रास्ते का राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शें में, संलग्न नक्शे में प्रस्तावित तरमीम अनुसार अंकन करावें एवं पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manmohan Meena
Date: 2024.03.06 12:03:46 IST
Reason: SelfAttested